

प्रति

वनमण्डलाधिकारी महोदय  
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

विषय :- रीवा जिले में 4 जी भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन Reliance jio infocomm Ltd Govindgarh - Sagouni Khurd route तक निर्माण हेतु 0.0145 हेक्टेयर वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बावत। (प्र.क. /FP/MP/OFC/ 37378/2018)

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./3373 दिनांक 02.04.2019

—:0:—

विषयांतर्गत अनुरोध है कि आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में पालन प्रतिवेदन चाहा गया था, जिसको निर्धारित प्रारूप में तैयार कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

रिलायंस जिओ इन्फोकॉम  
भोपाल  
अधोहस्ताक्षरकर्ता

8

| क्र. | अधिरूपित शर्त                                                                                                                                                                                                  | पालन प्रतिवेदन     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1    | वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।                                                                                                                                                                  | वचन पत्र संलग्न है |
| 2    | वनभूमि में भूमिगत आर्टिकल फाइबर केवल डालने की स्वीकृति वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राइट आफ वे के तहत ही होगी। राइट आफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे-किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है। | वचन पत्र संलग्न है |
| 3    | केवल विछाने हेतु 1.50 मीटर गहराई 290 मीटर लम्बाई एवं 0.5 मीटर चौड़ाई से अधिक वनभूमि का उपयोग नहीं किया जावेगा।                                                                                                 | वचन पत्र संलग्न है |
| 4    | वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।                                                                                                                         | वचन पत्र संलग्न है |
| 5    | समतलीकरण का कार्य संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ती से निकाली गई मिट्टी से किया जावेगा।                                                                                                             | वचन पत्र संलग्न है |
| 6    | समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जावेगा।                                                                                                               | वचन पत्र संलग्न है |
| 7    | फायर आर्टिकल केवल लाइन डालते समय वृक्षों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाई जायेगी, एवं न ही प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त वनक्षेत्र को तोड़ा जावेगा।                                                           | वचन पत्र संलग्न है |
| 8    | संस्था द्वारा ठेकेदार द्वारा वनक्षेत्र को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है तो निर्धारित राशि आवेदक संस्था से वसूली जायेगी।                                                                                  | वचन पत्र संलग्न है |
| 9    | संस्था से लिखित वचन पत्र दिया जावे कि यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य शासन या वरिष्ठ कार्यालय वन विभाग द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो सभी शर्त मान्य होगी।                                      | वचन पत्र संलग्न है |
| 10   | वनभूमि स्थित उपरोक्त प्रस्तावित मार्ग में OFC केवल डालने के दौरान मशीनरी (जे.सी.बी.) आदि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। खन्ती खुदाई का कार्य श्रमिकों से ही कराया जावेगा।                                          | वचन पत्र संलग्न है |

रिलायंस जिओ इन्फोकॉम  
मोपास  
अधोहस्ताक्षरकर्ता

## कैम्पा मद में राशि जमा करने के संबंध में

प्रस्तावित रीवा जिले के वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र रीवा के अंतर्गत गोविन्दगढ़ से सगौनीखुर्द मार्ग में ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने हेतु प्रभावित 0.0145 हेक्टेयर वनभूमि बावत् वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रीवा के पत्र क्रमांक/मा.चि./3373 दिनांक 02.04.2019 द्वारा जारी मॉग पत्र अनुसार ऑन लाइन राशि रुपये 100 का कैम्पा खाते के अदर मद में राशि जमा करने हेतु निर्देश दिए गए थे, जिसके संबंध में आवेदक संस्था द्वारा मध्य प्रदेश कैम्पा खाते में खाता क्रमांक 150767137378727 कार्पोरेशन बैंक में कैम्पा में दिनांक 09.04.2019 को जमा करा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

रिलायंस जियो इन्फोकॉम  
भोपाल  
अधोहस्ताक्षरकर्ता

## वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहने का वचन पत्र

प्रस्तावित रीवा जिले के वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र रीवा के अंतर्गत गोविन्दगढ़ से सगौनीखुर्द मार्ग में ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने हेतु प्रभावित 0.0145 हेक्टेयर वनभूमि बावत् वनसंरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 02 के अंतर्गत वन प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण) में अधिरोपित शर्तों के बिन्दु क्रमांक 01 के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।

रिलायंस जिओ इफोकॉम  
भोपाल  
अधोहस्ताक्षरकर्ता

## बिन्दु क्रमांक - 02

## वनभूमि में राइट ऑफ वे के तहत ऑप्टिकल केबल डालने का वचन पत्र

प्रस्तावित रीवा जिले के वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र रीवा के अंतर्गत गोविन्दगढ़ से सगौनीखुर्द मार्ग में ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने हेतु प्रभावित 0.0145 हेक्टेयर वनभूमि बावत् वनसंरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 02 के अंतर्गत वन प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण) में अधिरोपित शर्तों के बिन्दु क्रमांक 02 के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग के किनारे-किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल डाली जावेगी, मार्ग सीमा के अन्दर वाले क्षेत्र में नहीं।

रिलायंस जिओ इफोकॉम  
भोपाल  
अधोहस्ताक्षरकर्ता

आप्टिकल केबल डालने हेतु उपयोग होने वाली वनभूमि के संबंध में वचन पत्र

प्रस्तावित रीवा जिले के वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र रीवा के अंतर्गत गोविन्दगढ़ से सगौनीखुर्द मार्ग में आप्टिकल फाइबर केबल डालने हेतु प्रभावित 0.0145 हेक्टेयर वनभूमि बावत् वनसंरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 02 के अंतर्गत वन प्रकरण में प्राप्त सैद्धांतिक स्वीकृति (प्रथम चरण) में अधिरोपित शर्तों के बिन्दु क्रमांक 03 के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि केबल बिछाने हेतु 1.50 मीटर गहराई 290 मीटर लम्बाई एवं 0.5 मीटर चौड़ाई से अधिक वनभूमि का उपयोग नहीं किया जावेगा। जिसके लिए आवेदक संस्था वचनबद्ध है।

रिलायंस जिओ इन्फोकॉम  
भोपाल  
अधोहस्ताक्षरकर्ता

बिन्दु क्रमांक - 04

वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य के संबंध में वचन पत्र

प्रस्तावित रीवा जिले के वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र रीवा के अंतर्गत गोविन्दगढ़ से सगौनीखुर्द मार्ग में आप्टिकल फाइबर केबल डालने हेतु प्रभावित 0.0145 हेक्टेयर वनभूमि बावत् वनसंरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 02 के अंतर्गत वन प्रकरण में प्राप्त सैद्धांतिक स्वीकृति (प्रथम चरण) में अधिरोपित शर्तों के बिन्दु क्रमांक 04 के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जावेगा। जिसके लिए आवेदक संस्था वचनबद्ध है।

रिलायंस जिओ इन्फोकॉम  
भोपाल  
अधोहस्ताक्षरकर्ता

समतलीकरण कार्य के संबंध में वचन पत्र

प्रस्तावित रीवा जिले के वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र रीवा के अंतर्गत गोविन्दगढ़ से सगौनीखुर्द मार्ग में ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने हेतु प्रभावित 0.0145 हेक्टेयर वनभूमि बावत् वनसंरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 02 के अंतर्गत वन प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण) में अधिरोपित शर्तों के बिन्दु क्रमांक 05 के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि समतलीकरण का कार्य आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ती से एवं निकाली गई मिट्टी से किया जावेगा। जिसके लिए आवेदक संस्था वचनबद्ध है।

रिलायंस जियो इन्फोकॉम  
भोपाल  
अधोहस्ताक्षरकर्ता

बिन्दु क्रमांक - 06मिट्टी पत्थर एवं वनक्षेत्र में उत्खनन न करने के संबंध में वचन पत्र

प्रस्तावित रीवा जिले के वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र रीवा के अंतर्गत गोविन्दगढ़ से सगौनीखुर्द मार्ग में ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने हेतु प्रभावित 0.0145 हेक्टेयर वनभूमि बावत् वनसंरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 02 के अंतर्गत वन प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण) में अधिरोपित शर्तों के बिन्दु क्रमांक 06 के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी पत्थर की आवश्यकता है तो वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जावेगा। जिसके लिए आवेदक संस्था वचनबद्ध है।

रिलायंस जियो इन्फोकॉम  
भोपाल  
अधोहस्ताक्षरकर्ता

वृक्षों को हानि न पहुँचाने के संबंध में वचन पत्र

प्रस्तावित रीवा जिले के वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र रीवा के अंतर्गत गोविन्दगढ़ से सगौनीखुर्द मार्ग में ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने हेतु प्रभावित 0.0145 हेक्टेयर वनभूमि बावत् वनसंरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 02 के अंतर्गत वन प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण) में अधिरोपित शर्तों के बिन्दु क्रमांक 07 के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल लाइन डालते समय वृक्षों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाई जावेगी, एवं न ही प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त वनक्षेत्र को तोड़ा जावेगा। जिसके लिए आवेदक संस्था वचनबद्ध है।

रिलायंस जियो इन्फोकॉम

भोपाल

अधीनस्थताक्षरकर्ता

बिन्दु क्रमांक - 08

निर्धारित राशि वसूली के संबंध में वचन पत्र

प्रस्तावित रीवा जिले के वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र रीवा के अंतर्गत गोविन्दगढ़ से सगौनीखुर्द मार्ग में ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने हेतु प्रभावित 0.0145 हेक्टेयर वनभूमि बावत् वनसंरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 02 के अंतर्गत वन प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण) में अधिरोपित शर्तों के बिन्दु क्रमांक 08 के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल लाइन डालते समय आवेदक संस्था या, ठेकेदार द्वारा वनक्षेत्र को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है तो निर्धारित राशि आवेदक संस्था से वसूली जावेगी। निर्धारित राशि आवेदक संस्था देने हेतु वचनबद्ध है।

रिलायंस जियो इन्फोकॉम

भोपाल

अधीनस्थताक्षरकर्ता

**भारत सरकार/राज्य शासन/वरिष्ठ कार्यालय द्वारा शर्त निर्धारण के संबंध में वचन पत्र**

प्रस्तावित रीवा जिले के वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र रीवा के अंतर्गत गोविन्दगढ़ से सगौनीखुर्द मार्ग में ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने हेतु प्रभावित 0.0145 हेक्टेयर वनभूमि बावत् वनसंरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 02 के अंतर्गत वन प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण) में अधिरोपित शर्तों के बिन्दु क्रमांक 09 के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में भारत सरकार/राज्य शासन/वरिष्ठ कार्यालय वन विभाग द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो सभी शर्त मानने हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है।

रिलायंस जियो इन्फोकॉम  
भोपाल  
अधोहस्ताक्षरकर्ता

**बिन्दु क्रमांक - 10**

**मशीनरी आदि उपयोग न करने के संबंध में वचन पत्र**

प्रस्तावित रीवा जिले के वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र रीवा के अंतर्गत गोविन्दगढ़ से सगौनीखुर्द मार्ग में ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने हेतु प्रभावित 0.0145 हेक्टेयर वनभूमि बावत् वनसंरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 02 के अंतर्गत वन प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण) में अधिरोपित शर्तों के बिन्दु क्रमांक 10 के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्था द्वारा वनभूमि स्थिति उपरोक्त प्रस्तावित मार्ग में ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन डालने के दौरान मशीनरी (जे.सी.बी.) आदि का उपयोग आवेदक संस्था नहीं करेगी। खन्ती खुदाई का कार्य श्रमिकों के माध्यम से कराया जावेगा। जिसके लिए आवेदक संस्था वचनबद्ध है।

रिलायंस जियो इन्फोकॉम  
भोपाल  
अधोहस्ताक्षरकर्ता